फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं. 16 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व बज्जू से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने मुरब्बा नम्बर दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ ना.स. 214, खसरा गिरदावरी, खतौनी की प्रमाणित प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

ना.स. 214 व भू–अभिलेख निरीक्षक बज्जू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बज्जू की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 8 जीएम तहसील बज्जू व जिला बीकानेर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 में खाता संख्या 46 में वर्तमान मुरब्बा नम्बर को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान मुरब्बा नम्बर (अशुद्ध)		आदेश (शुद्ध मुरब्बा नम्बर जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)	
			मु.न.	खातेदार का नाम	मु.न.	खातेदार का नाम
1	8 जीएम	46	178/8	संजय बाफना पुत्र धनपतराम कौम बाफना सा. बज्जू खालसा तह. कोलायत जिला बीकानेर खातेदार	174/8	संजय बाफना पुत्र धनपतराम कौम बाफना सा. बज्जू खालसा तह. कोलायत जिला बीकानेर खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास मे सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner